न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 02/2018

(आर सी एम एस नम्बरः– 2018/00002)

उनवान प्रकरण

1–माधव सिंह पुत्र कोमल सिंह जाति गुर्जर निवासी मौहल्ला गडरपुरा धौलपुर
2–राघव सिंह पुत्र कोमल सिंह जाति गुर्जर निवासी मौहल्ला गडरपुरा धौलपुर
3–विमल सिंह पुत्र श्री मुकट सिंह जाति गुर्जर निवासी मौहल्का गडरपुरा धौलपुर
.....अपीलान्टस

बनाम

श्रीमान तहसीलदार तहसील धौलपुर राजस्थान
.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व रिव्यू आदेश तहसीलदार धौलपुर
दिनांक 20.04.2012 वसिलसिले नामान्तकरण
संख्या 1497 दि0 11.04.2012ग्राम सांडा तह0धौ0

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट
रेस्पो0 की ओर से :–श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 20.09.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अपीलान्ट ने एक दावा माधवसिंह वनाम सरकार न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में मुकदमा नम्बर 143/2007 विवादित आराजी खसरा नम्बर 262,263,264,978,987 ग्राम सांडा तहसील धौलपुर के बावत गैरखातेदारी से खातेदारी की घोषणा बावत प्रस्तुत किया था। यह दावा दिनांक 15.4.2008 को न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर ने खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15.4.2008 के विरूद्व अपील न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर के समक्ष उनवानी माधवसिंह बनाम सरकार अपील संख्या 45/2008 प्रस्तुत की। यह अपील दिनांक 13.5.2008 को स्वीकार की जाकर विवादित आराजी का अपीलान्टस को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। इस निर्णय व डिक्री दिनांक

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

13.5.2008 के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट सरकार ने द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील उनवानी राजस्थान सरकार बनाम माधवसिंह अपील डिक्री/टीए/5533/2009/धौलपुर प्रस्तुत की गई। यह अपील दिनांक 8.11.2011 को खारिज की गई तथा न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 13.5.2008 की पुष्टि की गई। आदेश दिनांक 8.11.2011 के विरूद्ध कोई भी अपील या रिट रैस्पोडेन्ट सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया। अपीलान्टस ने न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.2008 की पालना हेतु इजराय प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में प्रस्तुत किया न्यायालय द्वारा निर्णय डिक्री 13.5.2008 की पालना सुनिश्चित कराने हेतु आदेश रैस्पोडेन्ट को दिया गया जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 1497 दिनांक 11.4.2012 के द्वारा अपीलान्टस के नाम खातेदारी अधिकारी के इन्द्रांज कर नामान्तकरण तस्दीक किया गया था इसके पश्चात इजराय प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया।

रैस्पोडेन्ट तहसीलदार धौलपुर ने आक्षेपित रिव्यू आदेश के माध्यम से नामान्तकरण संख्या 1497 दिनांक 11.4.2012 निरस्त कर दिया तथा पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख की बहाल विना अपीलान्टस को सूचना दिये, विना सुनवाई का मौका दिये करदी है इस आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि रैस्पोडेन्ट को रिव्यू आक्षेपित आदेश दिनांक 20.4.2012 पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को नोटिस नहीं दिया गया ना ही अपीलान्टस को सुनवाई का मौका दिया। नामान्तकरण संख्या 1497 न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.2008 की पालना में तस्दीक किया गया था। इस नामान्तकरण को रिव्यू करने का कोई अधिकार रैस्पोडेन्ट को नहीं था। रैस्पोडेन्ट को आक्षेपित आदेश पारित करने के वजाय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 8.11.2011 के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही अग्रिम उच्च न्यायालय में करनी चाहिऐ थी। निस्पादनीय निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.2008 में डीएलसी दर की 10 प्रतिशत राशि जमा करने का कोई आदेश नहीं है। इसलिये अपीलान्टस से डीएलसी दर की 10 प्रतिशत राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। रैस्पोडेन्ट ने न्यायालय उप खण्डाधिकारी धौलपुर में अथवा अन्य अपीलीय न्यायालयों में नगर पालिका धौलपुर के पैराफैरी क्षेत्र में विवादित आराजी आने का कथन अथवा डीएलसी दर की 10 प्रतिशत राशि जमा कराने की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। रैस्पोडेन्ट ने रिव्यू आक्षेपित आदेश में जो कथन किये है ऐसे कथन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध करने से प्रतिवन्धित है। रैस्पोडेन्ट निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.2008 के पीछे नहीं जा सकती है। रैस्पोडेन्ट निर्णय व डिक्री की पालना करने हेतु प्रतिवन्धित है। आक्षेपित आदेश की जानकारी अपीलान्टस को दिनांक 20.10.2017 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करने का निवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 1497 का अमल नहीं आने का कथन करने पर हुई है एवं आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध है जिसके लिये कोई म्याद नहीं है। अपील जानकारी से अवधि मध्य प्रस्तुत है फिर भी प्रा0पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर आक्षेपित रिव्यू आदेश दिनांक 20.4.2012 निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 1497 ग्राम सांडा वहाल करने एवं अमल कराने की प्रार्थना की है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि रिव्यू आक्षेपित आदेश दिनांक 20.4.2012 पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को नोटिस नहीं दिया गया ना ही अपीलान्टस को सुनवाई का मौका दिया। नामान्तकरण संख्या 1497 न्यायालय आर.ए.ए भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.2008 की पालना में तस्दीक किया गया था। इस नामान्तकरण को रिव्यू करने का कोई अधिकार रैस्पोडेन्ट को नहीं था। रैस्पोडेन्ट को आक्षेपित आदेश पारित करने के बजाय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 8.11.2011 के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही अग्रिम उच्च न्यायालय में करनी चाहिऐ थी। निस्पादनीय निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.2008 में डीएलसी दर की 10 प्रतिशत राशि जमा करने का कोई आदेश नहीं है। इसलिये अपीलान्टस से डीएलसी दर की 10 प्रतिशत राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। रिव्यू आक्षेपित आदेश में जो कथन किये है ऐसे कथन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध करने से प्रतिवन्धित है। रैस्पोडेन्ट निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.2008 के पीछे नहीं जा सकती है। रैस्पोडेन्ट निर्णय व डिक्री की पालना करने हेतु प्रतिवन्धित है। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में आर आर टी 2014(1) पेज 552, आर आर टी 2003(2) पेज 1179, आर आर टी 2009(2)पेज 757,1150, आर एल डब्लू 2009(3) पेज 2295, आर आर डी 1990 पेज 147, आर आर टी 2005(1)पेज 545, आर आर टी 2009–10(सुफिम) पेज 692 की न्यायिक नजीरें पेश कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने वहस कथन किया कि तहसीलदार धौलपुर ने उक्त नामान्तकरण को दिनांक 20.4.2012 को रिव्यू कर मार्गदशर्न प्राप्त होने तक निरस्त किया है। तहसीलदार की हैसियत लैण्ड होल्डर की है। जब न्याय निर्णय अधिकारी के समक्ष कोई कानूनी बिन्दु ध्यान में लाया जाता है तो वह अपने निर्णय को रिव्यू कर सकता है। विवादित आराजी ग्राम सांडा तहसील धौलपुर क्षेत्र की है उक्त विवादित आराजी नगर पालिका धौलपुर के पैराफेरी क्षेत्र में आती है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार खातेदारी हेतु नियमानुसार राशि जमा कराने एवं सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस प्रकार नामान्तकरण को रिव्यू करने का अधिकार तहसीलदार को नियमानुसार प्राप्त है। उनके द्वारा जो निर्णय किया गया है वह उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खाजिर फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। तहसीलदार धौलपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1497 अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरपतुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.2008 की पालना में दिनांक 11.4.

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

2012 को तस्दीक किया गया है तथा दिनांक 20.4.2012 रिव्यू आदेश पारित कर नामान्तकरण संख्या 1497 दिनांक 11.4.2012 निरस्त कर रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल रखी गई है। रिव्यू आदेश में ग्राम सांडा का रकबा नगर पालिका धौलपुर के पैराफेरी क्षेत्र में आता है अतः राज्य सरकार के नियमों के अनुसार खातेदारी हेतु की एल सी दर की 10 प्रतिशत राशि जमा होनी है या नहीं इसके मार्गदर्शन बाबत अंकन किया गया है। रिव्यू आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस की सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी किया गया हो ऐसा कोई अंकन नहीं है। इससे यह जाहिर होता है कि उक्त रिव्यू आदेश अपीलान्टस को बिना सुनावाई का मौका दिये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अतः उपरोक्त विवेचनुसार अपीलान्टस की अपील रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि नामान्तकरण संख्या 1497 दिनांक 11.4.2012 ग्राम सांडा तहसील धौलपुर रिव्यू आदेश दिनांक 20.4.2012 तहसीलदार धौलपुर को निम्न बिन्दुओं पर प्रतिप्रेषित किया जाता है कि:-बिन्दु संख्या–1 पैराफेरी क्षेत्र में खातेदारी अधिकार देने की विधिवत प्रकिया, सक्ष्म स्तर से अनुमति एवं निर्धारित राशि जमा कराने के उपरांत ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेगें, बिन्दु संख्या–2 यदि उक्त शर्तो का पालन नहीं होता है तो अग्रिम सक्षम स्तर पर चाराजोही करें, अपील डिक्री निर्णय/रैफरेन्स की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner